फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर **125** नवम्बर **1998**

धीरे चलो
आराम से काम करो
तेजी तन और मन
दोनों के लिये
नुकसानदायक है।

बातचीत के अड्डे

अपने बकाया पैसों का जिक्र करने पर एक छोटी फैक्ट्री के मजदूर की डायरेक्टर व उसके भाई ने पिटाई की और फिर झूठी रिपोर्ट लिखवा कर उसे थाने में बन्द करवा दिया। वह वरकर और गुडईयर का एक परमानेन्ट मजदूर एक ही मकान में रहते हैं तथा आपस में बातचीत करते रहते हैं। गुडईयर वरकर ने थाने जा कर छोटी फैक्ट्री के मजदूर की जमानत दे कर उसे छुड़ाया।

फैक्ट्री में, मोहल्ले में, बाजार में, सड़क पर हमें हर रोज हजारों झमेलों-झँझटों से जूझना पड़ता है। इनसे बचने-निपटने के लिये हमें एक-दूसरे के अनुभवों व विचारों से रोशनी मिलती है। अक्सर हमें एक-दूसरे की सहायता की आवश्यकता भी पड़ती है।

अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान, सलाह-मशविरा तथा आपसी तालमेल के कई जरिये हैं। बातचीत इनके लिये एक सहज, सरल और तन व मन को राहत देने वाला तरीका है। जो किसी से बातें नहीं करते वे घुटते रहते हैं, कुंठित रहते हैं।

फैक्ट्री का, घर का माहौल हम सब में एक आम थकावट पैदा करता है। जो जलालतें हमने भुगती होती हैं उनका बोझा हमारे मन को मसोसता रहता है। मनहूस माहौल में हम जब-तब दरारें पैदा कर खुशी से भर जाते हैं। मन की जकड़ को ढीला करने और अपनी खुशी को फैलाने के लिये बातचीत के अड्डे एक अच्छा माध्यम हैं।

डिपार्टमेन्ट स्तर पर उठ-बैठ व बातचीत के अड्डे होना आम बात है। लेकिन फैक्ट्री स्तर पर और अलग-अलग फैक्ट्रियों के मजदूरों के बीच बातचीत के अड्डे कम ही हैं। जबकि हकीकत में हमारी जिन्दगियाँ डिपार्टमेन्ट-फैक्ट्री-शहर-प्रान्त-देश की चारदिवारियों के आर-पार आपस में भिन्न-भिन्न प्रकार से जुड़ी हैं। यह हकीकत हर प्रकार की सीमा को तोड़ते बातचीत के अड्डों को मजदूरों के हित में बेहद जरूरी बना देती है।

लेकिन मैनेजमेन्ट पक्ष बड़े-बड़े अखबारों-पत्रिकाओं, रेडियो, टी वी, फिल्म आदि-आदि के जरिये हमारे आपसी जोड़ों को तोड़-मरोड़ कर, गाँठ लगा कर, कुछ को छिपा कर, कुछ को बढा-चढा कर पेश करता है। बहकाने-भटकाने के लिये सम्मोहित करने वाले रूप में खेल, चुनाव, मार-काट, दँगे-फसाद, महामारी, भयावह एक्सीडेन्ट आदि परोसे जाते हैं। पत्र-पत्रिकायें और टी.वी. इन कार्यक्रमों के द्वारा हमारे सोच-विचार के विषय निर्धारित करने के प्रयास करते हैं और हमारी आपसी बातचीत के समय व स्थान को सिकोड़ने में जुटे हैं। जबकि, मैनेजमेन्ट पक्ष अपने बीच बातचीत के लिये बड़े-बड़े क्लबों का जाल बिछाये है।

ऐसे में आपसी बातचीत के सर्वोपरि महत्व को देखते हुये गली-गली में बातचीत के अड्डों को उभारना, उन्हें सींचना, उन्हें मजबूत करना मजदूरों के हित में एक छोटा परन्तु जरूरी कदम है।

छात्र-छात्राओं के बातचीत के अड्डे अपनी थिरकनें लिये हैं। कहीं भी कुछ होता है तो इन अड्डों के जरिये बातें चटपट फैल जाती हैं। भिन्न-भिन्न ढँग से अलग-अलग छात्र-छात्राओं की टोलियाँ प्रतिक्रियाये करती हैं और इसका भारी असर पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहणियों क बातचीत के अड्डों की वजह से वे इतनी अबला नहीं रहती। इसी प्रकार ट्रक-बस ड्राइवरों-कन्डकटरों-क्लीनरों के बातचीत के अड्डे अपना बल लिये हैं।

बातचीत के अड्डों पर हमारे तन व मन को राहत तो मिलती ही है, इनके जरिये एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी भी बढती है। इन अनौपचारिक सम्बन्धों से मेल-मिलाप बढता है, साँझे हित उभर कर आते हैं और अपने माफिक जानकारियों का आदान-प्रदान होता है। बातचीत के अड्डों का उभरना अपने-अपने घोंसलों से बाहर निकलना है और परिणामस्वरूप मैनेजमेन्टों की जकड़ ढीली होती है।।

थिरकनों के बहाने

मासूम-सी बातें राहत की डगर हैं। काहे को करें चिन्ता, यह अपनी डगर हैं। मैनेजमेन्टों को होती है चिन्ता, वो उनकी डगर है।

★ मैंने सोचा था कि यह काम तो हो चुका है।
★ क्या आपने बोला था ? शायद मैंने सुना नहीं होगा।
★ उस दिन ? उस दिन तो मैं छुट्टी पर था।
★ यह तो मुझे पता ही नहीं था।
★ क्या यह भी मुझे करना था ? मैंने सोचा यह तो कोई और कर रहा है।

करतूतें ऐसी भी

24 **सैक्टर स्थित एन.एम. नागपाल प्रा. लि.** के एक वरकर ने बताया :

कुछ वर्ष पहले एक यूनियन के सहयोग से हड़ताल करवा कर **मैनेजमेन्ट ने एक डिपार्टमेन्ट** बन्द कर 50 मजदूरों की छँटनी की थी। **इधर सितम्बर में एक अन्य** यूनियन के सहयोग से मैनेजमेन्ट ने मोल्डिंग **डिपार्टमेन्ट** [illegible] परमानेन्ट मजदूरों को निकाल कर वहाँ कैजुअल वरकरों **से प्रोडक्शन** लेना शुरू कर दिया है। ऐसा करने के लिये लीडरों ने पहले तो मैनेजमेन्ट को लम्बा-चौड़ा माँग-पत्र दिया और फिर कहा कि सब माँगें मानो या सब वरकरों का हिसाब दे दो। मैनेजमेन्ट पर दबाव डालने के नाम पर लीडरों ने हर मजदूर से इस्तीफा लिखवाया और मैनेजमेन्ट को दे दिया। मैनेजमेन्ट ने मोल्डिंग डिपार्टमेन्ट के 30 आपरेटरों के इस्तीफे "खेद के साथ स्वीकार" कर लिये। मोल्डिंग वरकरों के नौकरी करने के अनुरोध को अनसुना कर मैनेजमेन्ट ने केमिकल डिपार्टमेन्ट के मजदूरों पर अहसान कर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किये। इतनी सफाई और आसानी से 30 मजदूरों की छँटनी पर खुशी से भरी एन.एम. नागपाल मैनेजमेन्ट ने मिठाई बाँटी।।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद—121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

पैन लॉक, गुड़गाँव

पैन लॉक इन्डस्ट्रीज, 191 फेज IV, उद्योग विहार, गुडगाँव में है। इस फैक्ट्री के गेट पर फैक्ट्री के नाम का कोई बोर्ड न हो कर फोटोस्टेट का छोटा- सा बोर्ड टँगा है क्योंकि आफिस में एक फोटोस्टेट की मशीन है। आफिस में एक ही क्लर्क हैं, वर्मा जी। यहाँ पर वही क्लर्क हैं, वही कैशियर, वही टाइपिस्ट, वही जनरल मैनेजर, वही कम्प्युटर प्रोग्रामर हैं और वही फोटोस्टेट भी करते हैं। एक लड़का आफिस ब्वाय है। चपरासी भी वही है, किचन में चाय- पानी भी वही बनाता है और फैक्ट्री के फील्ड वर्क भी वही करता है। दरअसल यहाँ पर दो प्रकार का काम होता है। बेसमेन्ट में सूटकेस के लॉक का काम होता है और ऊपर कपड़े सिले जाते हैं, यानि, एक्सपोर्ट का काम। जो मजेदार बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि इसमें लॉक असेम्बली फ्री में चलती है। फैक्ट्री में लॉक असेम्बली को छोड़ कर सभी हैल्पर 45 रुपये दिहाड़ी पर काम करते हैं। लॉक असेम्बली के लिये पीस रेट पर हैल्पर की जगह है, गेट पर वैकेन्सी बोर्ड पर सुबह आठ बजे से बारह बजे तक लिखा रहता है। सुबह 8- 10 या 12 लड़के ले लिये जाते हैं और वेतन काम देख कर शाम को बताने के लिये कह दिया जाता है। शाम को लैच डालने के 3 पैसे, प्लेटिंग के ढाई पैसे, पैकिंग के 2 पैसे और स्प्रिंग सैटिंग के चार पैसे के हिसाब से जो लड़के चार सौ, तीन सौ, सौ और पाँच सौ पीस निकाल देते हैं उन्हें 10, 8, 4, 15 रुपये शाम तक पीस रेट के हिसाब से बता देते हैं। जिन लड़कों ने आज काम किया वे दुबारा अपने पैसे माँगने भी नहीं आते क्योंकि जब वे भर्ती किये जाते हैं तो उनसे एक एप्लिकेशन लिखवायी जाती है जिसमें उन्हें यह लिख कर देना होता है: "यदि मैं 15 दिन से पहले काम छोड़ता हूँ तो अपना हिसाब लेने का अधिकारी नहीं हूँगा। मुझे हिसाब नहीं मिलेगा।" अगली सुबह फिर नये लड़के पीस रेट पर रख लिये जाते हैं।

मैंने तीन माह तक यहाँ पर काम किया। मैं यहाँ पर स्टोर असिस्टेन्ट के रूप में लिया गया था परन्तु काम इतना था कि तीन माह में ही मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ी। 2000 रुपये तनखा थी किन्तु मिलते 1800 ही थे। दरअसल मुझे दो स्टोरों का सामान देना, रखना, मार्केट से लाना, लॉक असेम्बली का प्रोडक्शन देखना, पावर प्रेस का प्रोडक्शन देखना के अलावा दोनों स्टोरों का अलग- अलग डेली स्टॉक स्टेटमेन्ट बनाना, स्टॉक रजिस्टर, जी.आर.आर., आई. एन. फाइल, असेम्बली प्लेटिंग एवं पावर प्रेस के प्रोडक्शन रजिस्टर और अक्सर मैडम के साथ कपड़ों का सेल्समैन बन कर दुकान- दुकान भटकना। एक दिन प्रोडक्शन मैनेजर ने जनरेटर के लिये डीजल लाने के लिये भी मुझे ही चुन लिया। तभी मैंने त्यागपत्र दे दिया।।

5.10.98 — **वीरेन्द्र सिंह**, मुरादाबाद

फिनिस एक्सपोर्ट

30 डी.एल.एफ. इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फिनिस एक्सपोर्ट के एक मजदूर ने बातचीत के दौरान बताया :

175 महिलायें और 25 पुरुष इस फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। पाँच मिनट लेट होने पर मैनेजमेन्ट वापस कर देती है और एक मिनट भी पहले नहीं छोड़ती — पंचिंग मशीन एक है इसलिये ड्युटी खत्म होने के 15- 20 मिनट बाद तक फैक्ट्री से निकल पाते हैं। चाय ब्रेक नहीं है और न ही कैन्टीन है। साल में डी.ए. दो बार आता है पर फिनिस मैनेजमेन्ट एक बार ही देती है। ओवर टाइम पेमेन्ट सिंगल रेट से करती है। काम तेज है और बोझ ज्यादा है।

मजदूर कभी एक तो कभी दूसरी समस्या के समाधान की माँग करते हैं पर फिनिस मैनेजमेन्ट टाल- मटोल कर समस्याओं को इकट्ठा करती है। फिर माहौल गरम करके कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल कर मैनेजमेन्ट बाकी मजदूरों को दबा कर रखने की कोशिश करती है। साढे तीन साल पहले इसी प्रकार फिनिस मैनेजमेन्ट ने 6 महिला मजदूरों को नौकरी से निकाला था जिनका केस चल रहा है।

इधर अप्रेल- मई से माहौल गरम करना शुरू करके फिनिस मैनेजमेन्ट ने अगस्त में 9 महिला और 8 पुरुष मजदूरों को सस्पैन्ड कर दिया। 14 अगस्त को मैनेजमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर 15- 16 गुन्डों को लाई। तीन पुरुष मजदूरों को एक- एक करके परसनल मैनेजर के दफ्तर बुलाया गया और उन्हें गुन्डों ने जबरन फैक्ट्री से बाहर निकाला। दुमंजिली फैक्ट्री के सब मजदूरों में इसकी जानकारी फैल गई। चौथे पुरुष मजदूर को चपरासी बुलाने आया तो महिला मजदूरों ने उसे हड़का कर भगा दिया। इस पर गुन्डे आये तो उन्हें भी महिला मजदूरों ने जलील और शर्मिन्दा करके परसनल मैनेजर के दफ्तर लौटा दिया। सब मजदूरों द्वारा जनरल मैनेजर से सवाल- जवाब करने पर मैनेजमेन्ट ने गुन्डों को फैक्ट्री के बाहर गेट पर बैठाया। ड्युटी से छूटने के बाद महिला व पुरुष मजदूर डी.एल.एफ. पुलिस चौकी गये और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। 17 अगस्त को मैनेजमेनट ने सुबह- सवेरे फैक्ट्री गेट पर ताला लगा दिया और 4 सितम्बर को 17 मजदूरों को बाहर रख कर (सस्पैन्ड कर) बाकी को ड्युटी पर लिया।

गुस्सा हो कर भड़कना या डर कर सहम जाना मैनेजमेन्टों के इन रुटीन हमलों के जवाब नहीं हैं। समस्याओं को इकट्ठा करने या होने देने की बजाय एक- एक से लगातार व विभिन्न तरीकों से निपटना इस चक्रव्यूह की काट लिये है।।

कोरे कागज ...... कोर्ट कचहरी

झालानी टूल्स के हर मजदूर की तरह मैं भी कोरे कागज पर साइन करने से डरता हूँ। कहीं मेरा रिजाइन न लिख लें; ऐसा समझौता न कर लें जो मुझे किसी भी हालात में मान्य नहीं; कहीं मेरा पैसा न हड़प लें ...

लम्बे समय से भुगत रहा हूँ। मेरे से लिया गया साइन मेरे जैसों के सिर पर डन्डा बन कर बरसा है। किसी ने ढाई लाख डकारे हैं तो किसी ने ...

डिमान्ड नोटिस, एग्रीमेन्टों, नेगोसियेशनों के लटके - झटके व मार को झेलता आया हूँ। इधर जून 98 से तो फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों की पिटाई चल रही है ताकि झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट से अपने 21 महीनों का बकाया वेतन नहीं माँगें, मैनेजमेन्ट के खिलाफ कहीं कोई शिकायत न डालें, जबरन काटा चन्दा वापस न माँगें और कोरे कागजों पर चुपचाप साइन कर दें। और अब तो सितम्बर की तनखा 31 अक्टूबर को देनी शुरू करते ही झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने अपने ही खिलाफ कोर्ट में केस डलवाने के नाम पर हर मजदूर की तनखा से 50 रुपये काटे हैं जो कि अपने पट्ठों को पालने वाले 10 रुपये चन्दे के अलावा हैं।

ईस्ट इंडिया की जूट मिल, मैटल बॉक्स, डेल्टा टूल्स, डाबड़ीवाला स्टील आदि बन्द पड़ी फैक्ट्रियों के मजदूरों से बातचीत में जाना है कि कई के पैसे कोर्ट- कचहरी की भूलभुलैया में खो गये हैं तो कइयों के 10- 15 साल से अदालतों में लटके हैं। और कोर्ट केस के नाम पर उन फैक्ट्रियों के मजदूरों से कुछ लोग 50- 100 रुपये लेते रहे।

अभी तक देखा व भुगता है कि झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट के खिलाफ जो मजदूर शिकायत डालता है और चन्दा देने से इनकार करता है उसे विरोधी कह कर सस्पैन्ड किया जाता है, पिटाई की जाती है, डिपार्टमेन्ट बदल दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं ... अन्य झालानी टूल्स मजदूरों की तरह मेरे सामने भी समस्या है। कोरे कागज पर साइन करना, चन्दा देना मेरे दो लाख रुपये डुबाने में मदद करता है। पर फिर मैं पिटना भी नहीं चाहता, सस्पैन्ड नहीं होना चाहता। .... **मैं अपने** दो लाख रुपये हड़पने देना भी नहीं चाहता। अपना बुढापा खराब करना नहीं चाहता। ऐसे में क्या करूँ?....

3. 11. 98 — **झालानी टूल्स का एक मजदूर**

अप्रेन्टिस

आई.टी.आई. कोर्स करने के बाद लड़के-लड़कियाँ अप्रेन्टिसशिप के लिये फक्ट्रियों में भेजे जाते हैं। ट्रेनिंग के नाम पर यह असल में कोड़ियों के भाव मैनेजमेन्टों को चूसने के लिये ताजा खून देना है। **आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड** और **एस्कोर्ट्स फार्मट्रैक** के अप्रेन्टिस वरकरों ने जो कहा वह थोड़े में यह है:

रात दस बजे बाद फैक्ट्री में रखने के खिलाफ नियम-कानून है पर एस्कोर्ट्स व आयशर दोनों में अप्रेन्टिसों से रात एक बजे तक काम करवाते हैं। अप्रेन्टिस काम सीखने के लिये होते हैं पर एस्कोर्ट्स व आयशर, दोनों में लड़कों से पूरा प्रोडक्शन लिया जाता है। एस्कोर्ट्स और आयशर दोनों कम्पनियों में बच्चों को भारी व लगातार होते काम की उन जगहों पर लगाते हैं जहाँ पूरे समय खड़े रहना पड़ता है। पानी पीने, पेशाब-लैट्रीन के लिये रिलिवर नहीं देते — सुपरवाइजर कहते हैं कि लन्च में करना। एतराज करने पर धमकी देते हैं कि अबसेन्ट लगा देंगे। आई.टी.आई. प्रिन्सिपल और एडवाइजर को यह सब बताते हैं तो वे मैनेजमेन्टों की ही भाषा बोलते हैं।

अप्रेन्टिसों के साथ सुपरवाइजर और मैनेजर बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। सुपरवाइजर गाली देते हैं और इसकी मैनेजरों से शिकायत करो तो वे कहते हैं कि तुम से बड़े हैं, उन्हें कहने का हक है — कम्पनी में रहना है तो दो बातें तो सुननी ही होंगी नहीं सुननी हैं तो अपने घर जाओ।

अप्रेन्टिस लड़कों को सुपरवाइजर जानवूझ कर ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहाँ हाथों से बहुत जोर लगाना जरूरी होता है। मैनेजरों के पास जाओ तो वह कहते हैं कि परमानेन्ट तो बूढे हो लिये उनसे तो यह भारी काम होते नहीं, तुम्हें ही निपटाने होंगे। और, आयशर में शरीर तोड़ने के लिये लालच देते हैं कि एक साथ दो-दो जगह काम करो तो घड़ी दे देंगे।

काम के दौरान लोहे के कण आँखों में पड़ने का खतरा रहता है। एस्कोर्ट्स में परमानेन्ट मजदूरों को बचाव के लिये चश्मे दिये गये हैं पर अप्रेन्टिसों को नहीं। एस्कोर्ट्स फार्मट्रैक में 250 अप्रेन्टिसों ने चश्मों के लिये काम बन्द किया। इस पर एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने डरा-धमका कर अप्रेन्टिस लड़कों को बिना चश्मों के ही काम करने को मजबूर किया।

आयशर ट्रैक्टर्स में रात दस बजे बाद काम करवाने, ट्रेनिंग की बजाय पूरा प्रोडक्शन लेने और पैसों के नाम पर अठन्नी देने के खिलाफ 60 अप्रेन्टिस इस वर्ष फरवरी में फैक्ट्री से बाहर निकल कर गेट पर बैठे। एक शिफ्ट में 50 की जगह 35 ट्रैक्टर बने। डराना-धमकाना नहीं चला तब पुचकार कर, पैसे बढाने आदि के आश्वासन दे कर आयशर मैनेजमेन्ट लड़कों को फैक्ट्री के अन्दर ले गई थी और हफ्ते-भर मैनेजर लोग फैक्ट्री में अप्रेन्टिसों को ज्ञान देते रहे थे।

लेकिन अन्य मजदूरों की ही तरह आयशर में अप्रेन्टिसों का असन्तोष व विरोध जारी रहा। तीन अगस्त को परमानेन्ट मजदूरों को चाय की जगह एक-एक कप दूध दिया गया पर अप्रेन्टिसों को चाय ही देने की कोशिश आयशर मैनेजमेन्ट ने की। अप्रेन्टिसों ने चाय लेने से इनकार कर दिया और दूध के लिये काम बन्द कर दिया। दौरा कर रहे जनरल मैनेजर द्वारा पूछने पर अप्रेन्टिसों ने उनसे कहा कि हमें भी दूध मिलना चाहिये, हम भी पूरी प्रोडक्शन देते हैं। जी एम ने बात करने से इनकार कर दिया और मैनेजरों से कहा कि अप्रेन्टिसों को बाहर निकाल दो।

तब आयशर मैनेजरों ने अप्रेन्टिसों से कहा: "तुम अभी जवान हो तुम्हें दूध की क्या जरूरत है। दूध तो बूढे मजदूरों को चाहिये।" और, यूनियन लीडर ने आ कर कहा: "दूध के लिये हम दस साल लड़े हैं। आज मिला और तुम लोग आज ही दूध के लिये बैठ गये।"

लेकिन अप्रेन्टिस काबू में नहीं आये तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अप्रेन्टिसों से कहा, "काम करने में तुम्हारी ... फटती है।" और, आयशर मैनेजमेन्ट ने सब अप्रेन्टिसों को सस्पैन्ड कर दिया। अपना नियन्त्रण पुन: स्थापित करने के लिये आयशर मैनेजमेन्ट को महीने-भर अप्रेन्टिसों का शोषण करने से खुद को रोकना पड़ा और फिर सितम्बर के आरम्भ से दस-दस, पाँच-पाँच करके अप्रेन्टिसों को फैक्ट्री के अन्दर लेना शुरू किया। अक्टूबर के अन्त तक भी आठ-दस अप्रेन्टिसों को फैक्ट्री से बाहर रख कर आयशर मैनेजमेन्ट अपनी बौखलाहट प्रदर्शित कर रही थी।।

एस्कोर्ट्स को बोनस

हमें ताज्जुब हुआ जब एस्कोर्ट्स के एक मजदूर ने बताया:

बोनस के टाइम पर एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट बरसों से भारी धोखाधड़ी कर रही है। इस साल भी कई प्लान्टों में 20 परसैन्ट बोनस के नाम पर वास्तव में साढे बारह परसैन्ट बोनस दिया गया है। एस्कोर्ट्स में मजदूरों का बेसिक व डी.ए. मिला कर चार हजार रुपये से अधिक है। ऐसे में 20 परसैन्ट बोनस के दस हजार रुपये से अधिक बनते हैं। लेकिन, बोनस कानून का सहारा ले कर मैनेजमेन्ट ने अधिकतम 6000 रुपये दिये हैं, यानि, साढे बारह परसैन्ट। यह 6000 भी उनको दिये गये जिनकी हाजरियाँ पूरी हैं, यानि, जिनके दस हजार से ऊपर बनते हैं। हाजरियाँ कम होने वाले वरकरों के आठ-दस हजार के बीच बनते हैं पर एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट ने उन्हें 6 हजार भी नहीं दिये। "तुम्हारे 8500 बनते हैं इसलिये 5200 रुपये लो!"

इस साल एस्कोर्ट्स यामाहा (राजदूत) प्लान्ट में मैनेजमेन्ट ने 8.33 परसैन्ट बोनस और 11.67 परसैन्ट एक्सग्रेसिया पर मजदूरों से दस्तखत करवाये। यह दोनों मिला कर बीस परसैन्ट हुये, यानि, प्रत्येक मजदूर के दस हजार रुपये से अधिक बने। बोनस कानून इसमें आड़े नहीं आता क्योंकि 8.33 परसैन्ट बोनस की राशि 4 हजार के करीब बनी और एक्सग्रेसिया की राशि पर कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है। फिर भी एस्कोर्ट्स यामाहा (राजदूत) मैनेजमेन्ट ने 6000 और उससे कम रुपये मजदूरों को दिये हैं। बोनस की 6000 की कानूनी सीमा को मनमर्जी से मैनेजमेन्ट बोनस जमा एक्सग्रेसिया की सीमा बना कर कानून तो तोड़ ही रही है, वास्तव में मजदूरों से साढे सात परसैन्ट बोनस ले रही है! ऐसा ही पिछले वर्ष एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट में 8.33 परसैन्ट बोनस व 11.67 परसैन्ट एक्सग्रेसिया देते समय किया गया था। यह फ्राड है, सरासर धोखाधड़ी है।

बोनस के टाइम पर कानून की आड़ ले कर और कानून तोड़ कर धोखाधड़ी के जरिये मजदूरों से पैसे लेना एस्कोर्ट्स मैनेजमेन्ट की विशेषता नहीं है बल्कि यह गुडईयर, आयशर, व्हर्लपूल आदि-आदि अनेक फैक्ट्रियों में किया जा रहा है।

जहाँ-जहाँ मैनेजमेन्टें बीस परसैन्ट बोनस देने के दावे करती हैं वहाँ मजदूर दस-पन्द्रह परसैन्ट के बीच उतना बोनस लें जो 6000 रुपये बनता है और बाकी पाँच-दस परसैन्ट एक्सग्रेसिया के रूप में लें। इस प्रकार बोनस के टाइम पर दस-पन्द्रह हजार रुपये ले सकते हैं। एक्सग्रेसिया की राशि की कोई सीमा नहीं है इसलिये बीस परसैन्ट से अधिक के लिये कोशिश करना बनता है — कोयम्बेटूर में कपड़ा मिलों में 45 परसैन्ट बोनस के टाइम पर लिया जाता रहा है।

एस्कोर्ट्स व अन्य फैक्ट्रियों में फ्राड के जरिये जो पैसे मैनेजमेन्टों ने ले लिये हैं उन्हें माँगना एक छोटा-सा कदम बनता है।।

कुछ भागमभाग में, कुछ ठहर कर

स्टड्स हेल्मेट मजदूर : "मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में 14 कैमरे लगाये हैं। हर डिपार्टमेन्ट में एक कैमरा। सेक्युरिटी गेट पर दो और लैट्रीन-पेशाब रूम के बाहर एक कैमरा। कैमरे लगाने के बाद दस-बारह साल से काम कर रहे 35 कैजुअलों को पाँच-पाँच करके मैनेजमेन्ट ने निकाल दिया और उनका काम भी 135 परमानेन्ट मजदूरों पर डाल दिया। बहुत काम करवाते हैं और तनखा इतनी देते हैं कि पेट ही नहीं पलता। ऊपर से फैक्ट्री में कैमरे हमें हर पल घूरते रहते हैं।"

क्युरवेल वरकर : "250 थे, अब 35 हैं। खस्ता हाल है। कई लीडरों को आजमाया, सब लीडरों की कोठियाँ बन गई।"

इरकॉन मजदूर : "रेलवे की कम्पनी है। इरकॉन सरकारी है पर फिर भी टाइम पर तनखा नहीं। यहाँ इरकॉन की वर्कशॉप में 20-22-30 तारीख को तनखा देते हैं।"

टालब्रोस वरकर : "मथुरा रोड वाले प्लान्ट में एक तो कैजुअल वरकर निकाल कर मैनेजमेन्ट ने वर्क लोड बढा दिया है और ऊपर से इनसैन्टिव भी घटा दिया है। लैट्रीन-बाथरूम जाने पर भी वरकरों को परेशान करते हैं।"

नैपको बेवल गियर मजदूर : "डी.ए.तक नहीं देते। आपरेटरों को 17-18 सौ ही। जबरन ओवर टाइम करवाते हैं। मना करो तो गेट रोक देते हैं जबकि तीन साल के ओवर टाइम के पैसे नहीं दिये हैं।"

डिसमिस वरकर : "मितासो मैनेजमेन्ट द्वारा जबरन हिसाब देने के बाद डेढ महीने टेलीफोन एक्सचेन्ज में ठेकेदार के मजदूर के तौर पर काम किया और अब टालब्रोस में कैजुअल हूँ। टेलीफोन एक्सचेन्ज ठेकेदार ने डेढ महीने का वेतन नहीं दिया तो एक परिचित यूनियन लीडर से केस डलवाया। लीडर साहब के घर पर बिजली की फिटिंग की और फिटिंग के पैसे भी मैंने भाईबन्दी में नहीं लिये। फिटिंग तक तो ठीक रहा पर फिर लीडर बोला कि वह मेरी तारीख पर नहीं जा सकता। मैं नौकरी करूँ कि तारीखें देखूँ सोच कर मैंने अपना डेढ महीने का वेतन डूबने दिया।"

★ **नूकैम मजदूर :** "अगस्त माह का वेतन नूकैम मशीन टूल्स में 17 अक्टूबर को जा कर दिया। मैनेजमेन्ट कहती है कि मशीन बिकेगी तब वेतन देगी।"

अतुल ग्लास वरकर : "टाइम पर तनखा कभी नहीं देते। जो डी.ए. आता है उसके पैसे भी राजी से नहीं देते।"

मनसुख टैक्सटाइल्स मजदूर : "ठेकेदारी है। पीस रेट है फिर भी 12 घन्टे की ड्युटी है। यहाँ सब फैक्ट्रियों में यह 12 घन्टे का चक्कर चला रखा है।"

सी एम आई वरकर : "ऐसी एग्रीमेन्ट की है कि मजदूरों को बाँध दिया है। पेशाब करने जाने तक पर पाबन्दी। मजदूर समाचार जितने बड़े बारह पन्नों पर मैनेजमेन्ट की शर्तें हैं।"

× **विक्टोरा टूल्स मजदूर :** "45 परमानेन्ट हैं और दस-दस साल से काम कर रहे 145 कैजुअल हैं। परमानेन्ट को मैनेजमेन्ट 14-15 परसैन्ट बोनस देती है पर कैजुअलों को बोनस नहीं देती — हजार-पाँच सौ पकडा देती है। जबकि, फैक्ट्री घाटा दिखाये चाहे मुनाफा, सब मजदूरों को (कैजुअल हों, चाहे ठेकेदारों के, चाहे परमानेन्ट) कम से कम 8.33 परसैन्ट बोनस देना ही होगा का कानून है।"

आटो ड्राइवर : "सेनडेन विकास में काम करता था। एक हफ्ते की मेडिकल छुट्टी के बाद ड्युटी पर गया तो मैनेजमेन्ट ने ड्युटी पर नहीं लिया। केस चल रहा है। अब मैनेजमेन्ट कहती है कि इस्तीफा दे दो और 50 हजार ले लो पर मुझे नौकरी चाहिये।"

निसलेवल आटो लेक वरकर : "500 वरकर हैं। बाहर से बिल्डिंग ताजमहल जैसी लगती है पर अन्दर मजदूरों के लिये कैन्टीन तक नहीं है।"

सोनिया टैक्सटाइल्स मजदूर : "हम दो-ढाई सौ मजदूर हैं पर मैनेजमेन्ट हमें बोनस नहीं देती।"

जयको स्टील फासनर वरकर : "हम 300 के लगभग मजदूर हैं। मैनेजमेन्ट 8 महीने रखती है और फिर निकाल देती है।"

क्लच आटो मजदूर : "वरकरों में तीन डर हैं : मैनेजमेन्ट का डर, चमचों-लीडरों का डर, पेट का डर।"

इनवेल ट्रान्समिशन वरकर : "लीडर कहते हैं कि मैनेजमेन्ट से अच्छे रिश्ते रखने चाहियें। लेकिन मैनेजमेन्ट से अच्छे रिलेशन का मतलब जहरीले साँप से अच्छे रिश्ते बनाने जैसा है। उसे दूध पिलाने का मतलब उसके जहर को बढाना है।"

सपना-सोभाग टैक्सटाइल्स मजदूर : "4 साल से फैक्ट्री बन्द है। पहले के केस का तो कुछ हुआ नहीं और अब नया केस डालने के लिये लीडर 100-100 रुपये ले रहे हैं। सब खाने-कमाने का धन्धा है।"

डिसमिस वरकर : "9 साल हो गये हैं मुझे केस लड़ते। लेबर कोर्ट में केस चल रहा है और मेरे साथ फैक्ट्री से निकाले (फैक्ट्री का नाम हम भूल गये — सं.) अन्य मजदूरों का भी केस चल रहा है। इन 9 साल में हम तीन वकील बदल चुके हैं।"

फ्रिक इंडिया मजदूर : "ऐसी एग्रीमेन्ट हुई है कि हमें बोझे की तरह उसे ढोना होगा। दस घन्टे में तैयार होने वाली किसी जॉब को करते 8 घन्टे हो जायें तब पता चले कि मैटेरियल में फाल्ट है तो वरकर के 4 घन्टे ही गिने जायेंगे, 4 घन्टे का काम नहीं गिना जायेगा। और, मैटेरियल की जिम्मेदारी भी मजदूरों की! दस दिन मैटेरियल नहीं होने की वजह से वरकरों के पास काम नहीं होगा तो मैटेरियल आने पर उन दस दिनों का प्रोडक्शन भी पूरा करके देना होगा। कैसे करेंगे ?!"

हेमला होजरी वरकर : "हम 40-45 थे और सब को काम करते 4-5 साल हो गये थे। ड्युटी 12 घन्टे की और तनखा 15 तारीख के बाद। ओवर टाइम सिंगल रेट से। न फन्ड और न ई.एस.आई। कुछ राहत हासिल करने के लिये हम ने एक यूनियन का झन्डा लगाया। यूनियन ने दिन की शिफ्ट में टूल डाउन हड़ताल करवा दी। रात की शिफ्ट में मैनेजमेन्ट ने हैल्परों से मशीनें चलवा ली और दूसरे दिन 8 आपरेटरों का गेट रोक दिया। चार ने हिसाब ले लिया और चार का केस चल रहा है। मैं पहले हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास में काम करता था। वहाँ भी लीडरों ने हड़ताल करवा के हमें निकलवाया था और अब यहाँ हेमला में भी हड़ताल करवा के निकलवा दिया। लीडरों के चक्कर में आने में नुकसान ही नुकसान हैं।"

+ **झालानी टूल्स मजदूर :** "मैनेजमेन्ट के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिये खुद मैनेजमेन्ट पैसे इकट्ठे करके दे रही है। 31 अक्टूबर को झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट द्वारा बनाई कमेटियों ने गेट मीटिंग की और मैनेजमेन्ट के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिये हर मजदूर से 50 रुपये लेने की घोषणा की। सितम्बर की तनखा झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने 31 अक्टूबर को ही रात को देनी शुरू की। हर मजदूर की कटी-कुटी तनखा में से कम्पनी के कैशियरों ने 50-50 रुपये लीडरों को कोर्ट केस करने के लिये देने के वास्ते काटने शुरू कर दिये।"

फर आटो वरकर : "हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। इस बारे में हर फैक्ट्री के मजदूरों को आपस में मिल कर बातें करनी चाहियें और प्रोग्राम बनाने चाहियें।"

महीने में एक बार ही 'मजदूर समाचार' छाप पाते हैं और 5000 प्रतियाँ ही फ्री बाँट पाते हैं। किसी वजह से सड़क पर आपको नहीं मिले तो 10 तारीख के बाद मजदूर लाइब्रेरी आ कर ले सकते हैं — बोनस में कुछ गपशप भी हो जायेगी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।
RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।